न्यायालय उपजिलाधिकारी धनौरा
जनपद — अमरोहा
वाद सं० — T202013387002680
अन्तर्गत धारा — 80 उ0प्र0 रा0सं0 2006
मौजा — ईसापुर
परगना व तहसील धनौरा
वाद गुरु जन कल्याण ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत
नकल आदेश दिनांक 04.7.2020 कि.
~~नजरी नक्शा साहिब~~
की छायाप्रति प्रमाणित कुल 04 वर्क

CF 02/7 = 00

Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — निरस्त
Rs.2 INDIA दो रुपये TWO RUPEES — निरस्त

9756964790

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट धनौरा, जनपद-अमरोहा

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :धनौरा
वाद संख्या :-680/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202013387002680
वाहेगुरु जन कल्याण ट्रस्ट कार्यालय 189 शील कुंज रुडकी रोड मेरठ द्वारा सचिव सोरन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय सहा0 कलैक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी धनौरा।

वाद संख्या :–टी0–202013387002680 अर्न्तगत धारा–80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता–2006
ग्राम–मूसापुर, परगना व तहसील
धनौरा, जनपद अमरोहा।

वाहे गुरू जन कल्याण ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत

निर्णय

प्रस्तुत वाद वाहे गुरू जन कल्याण 189 शीलकुन्ज रूडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ द्वारा सचिव श्री सोरन सिंह पुत्र श्री दीपचन्द सिंह निवासी–189 शीलकुन्ज रूडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006, प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी की भूमि स्थित ग्राम मूसापुर, तहसील धनौरा की भूमि गाटा सं0/क्षेत्रफल 16/0.934 है0 कुल भाग पर भूमि पर विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है जिस का आवेदक संक्रमणीय भूमिधर काबिज काश्तकार है। वर्तमान में उक्त भूमि कृर्षिक उपयोग मे नहीं लायी जा रहीं है, बल्कि अकृर्षिक उपयोग में आ रहीं है और अन्त में उक्त भूमि को कृर्षिक के स्थान पर अकृर्षिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनौरा से जांचोपरान्त आख्या तलब की गयी। तहसीलदार धनौरा द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 18.06.2020 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि 0.336 है0 पर विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है तथा शेष रकबा 0.598 है0 मौके पर परती है जो बाउन्ड्रीवाल से घिरा है और अन्त में उक्त भूमि को अकृर्षिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

सर्किल रेट सूची के अनुसार 10,10000 रुपये प्रति है0 की दर से खसरा सं0 16/0.934 है0 की कीमत रु0 94,33,400/–होती है। आवेदक द्वारा 0.934 है0 अकृर्षिक के रुप में प्रयोग किये जाने पर जिसका एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क अंकन रु0 94,334/– तथा एक प्रतिशत उदघोषण शुल्क अंकन रु0 94334/– निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाये।

मैंने वादी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार धनौरा की जांच आख्या दिनांक 18.06.2020 का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि, गुरू जन कल्याण 189 शीलकुन्ज रूडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ द्वारा सचिव श्री सोरन सिंह पुत्र श्री दीपचन्द सिंह निवासी–189 शीलकुन्ज रूडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ की भूमि ग्राम मूसापुर, तहसील धनौरा की भूमि गाटा सं0/क्षेत्रफल 16/0.934 है0 भूमि अकृर्षिक के रुप
में प्रयोग हो रही है। आवेदक द्वारा सर्किल रेट सूची के अनुसार 10,10000 रुपये प्रति है0 की दर से खसरा सं0 16/0.934 है0 की कीमत रु0 94,33,400/–होती है। आवेदक द्वारा 0.934 है0 अकृर्षिक के रुप में प्रयोग किये जाने पर जिसका एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क अंकन रु0 94,334/– दिनांक 20.06.2020 को चालान संख्या FK-00022 भारतीय स्टेट बैंक धनौरा मे तथा एक प्रतिशत उदघोषण शुल्क

Scanned with CamScanner

अंकन रु० 94334/– दिनांक 20.06.2020 को चालान संख्या FK-00023 भारतीय स्टेट बैंक धनौरा में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिये हैं। ऐसी दशा में प्रार्थी की उपरोक्त भूमि जो कि तहसीलदार धनौरा द्वारा नक्शा नजरी में लाल स्याही से दर्शायी गई है, को लगान मुक्त करते हुए अकृर्षिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश हुआ कि:–

आदेश

अतः वाहे गुरू जन कल्याण 189 शीलकुन्ज रुडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ द्वारा सचिव श्री सोरन सिंह पुत्र श्री दीपचन्द सिंह निवासी–189, शीलकुन्ज रुडकी मार्ग शीलकुन्ज मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ की भूमि स्थित ग्राम मूसापुर, तहसील धनौरा की भूमि गाटा सं०/क्षेत्रफल 16/0.934 है० कुल भाग जोकि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी है, को उ०प्र० राजस्व संहिता–2006, की धारा–80 के अन्तर्गत लगान मुक्त कर अकृर्षिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार धनौरा की आख्या दिनांक 18.06.2020 व नक्शा नजरी आदेश का अंग रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धनौरा को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह उक्त आदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखों में दर्ज करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट * धनौरा, जनपद-अमरोहा *

दिनांकः– 04 .जुलाई , 2020

4/7/2020

(शशांक चौधरी)
सहा० कलैक्टर (प्रथम श्रेणी)/
परगनाधिकारी धनौरा।

Scanned with CamScanner

खसरा गाटा सं०-16
ग्राम-मूसापुर तहसील-धनौरा जिला-अमरोहा

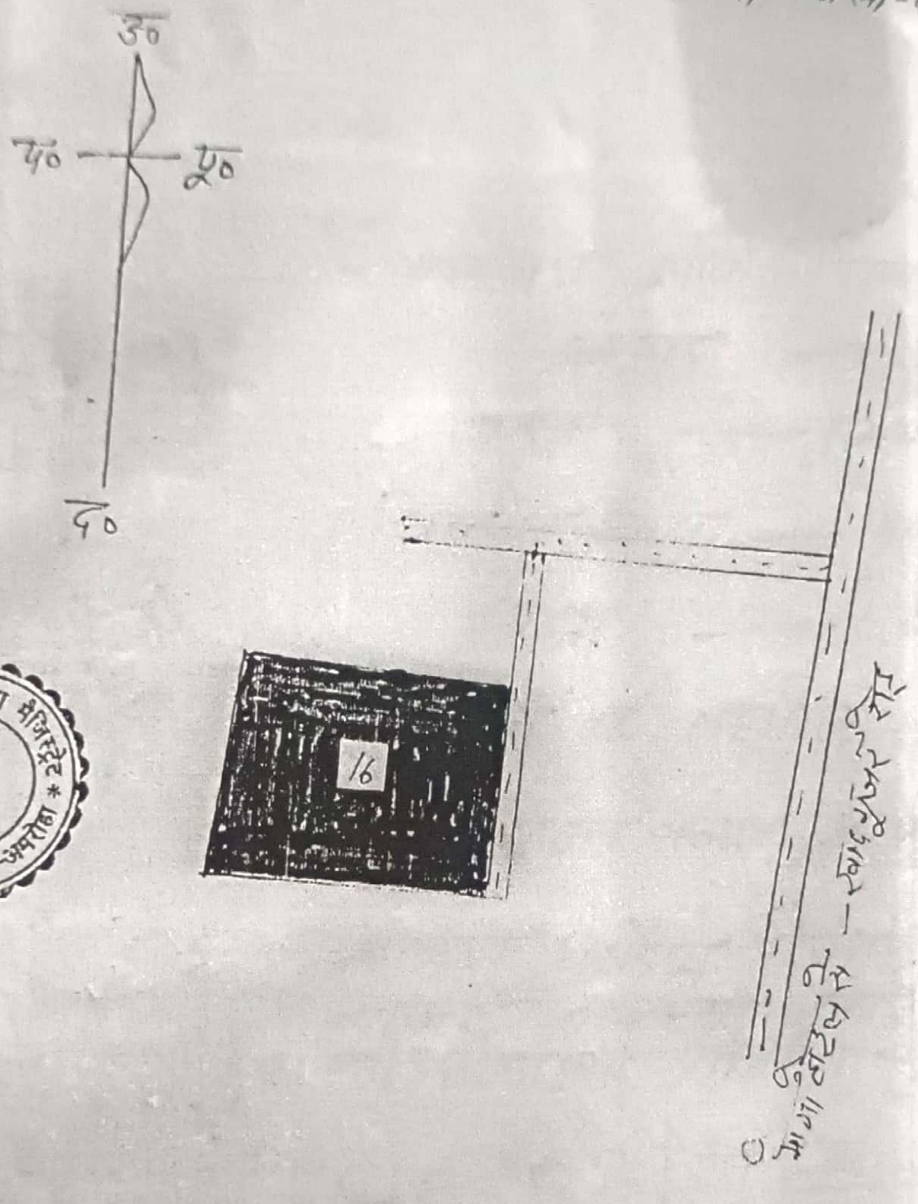

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट
धनौरा, जनपद-अमरोहा

प्रार्थना-पत्र क्रमांक 475
प्रार्थना-पत्र का दिनाँक 04-7-20
आवेदक का नाम विवेक कुमार
स्टाम्प शुल्क 02/7
तैयारी का दिनाँक 06-7-2020
जारी का दिनाँक 06-7-2020

छाया प्रति प्रमाणित

पेशकार
न्यायालय उप जिलाधिकारी
धनौरा, जनपद-अमरोहा

Scanned with CamScanner